न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डा0मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 4031–दो/2012 – विरूद्ध आदेश दिनांक 05–11–2012 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 334/2010–11 निगरानी

1– राकेश कुमार पुत्र रामलाल जाटव
2– वृज़ेश कुमार पुत्र रामलाल जाटव
दोनों निवासी ग्राम फतहपुर तहसील
नरबर, जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश ---आवेदकगण

विरूद्ध

दीना पुत्र सोहरू जाटव, ग्राम फतहपुर
तहसील नरबर , जिला शिवपुरी --- अनावेदक

(श्री एस.के.बाजपेयी अभिभाषक – आवेदकगण)
(श्री जे.एन.सक्सैना अभिभाषक – अनावेदक)

आ दे श
(दिनांक २३ दिसम्बर, 2015)

अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 334/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5–11–2012 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि मृतक कास्तकार सोहरू पुत्र भजना जाटव के नाम ग्राम फतहपुर में कुल किता 14 कुल रकबा 1.25 है. में से 1/5 एंव कुल किता 6 कुल रकबा 2.15 हैक्टर संपूर्ण भाग के भूमिस्वामी थे जिनकी मृत्यु उपरांत दीना पुत्र सोहरू जाटव ने बसीयत के आधार पर नामांत्रण की मांग की। दूसरी बसीयत राकेश कुमार, वृजेश

कुमार पुत्रगण रामलाल की ओर से प्रस्तुत कर नामान्तरण की मांग करने पर ग्राम पंचायत फतहपुर ने मामला विवादित होने से नायव तहसीलदार नरबर की ओर अग्रेषित किया। नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 16/2002-03 अ-6 पंजीबद्ध किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 8-8-2003 पारित किया एंव बसीयत दिनांक 8-3-95 के आधार पर राकेश कुमार, वृजेश कुमार के नाम ग्राम फतहपुर स्थित खाता क्रमांक 390 रकबा 2.15 हैक्टर पर नामान्तरण करने के आदेश दिये तथा इसी आदेश में खाता क्रमांक 93 रकबा 1.25 हैक्टर पर वारिसान दीना, रामलाल के नामांत्रण के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, करैरा के समक्ष अपील क्रमांक 82/2010-11 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 22-6-2011 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 8-8-03 निरस्त किया गया तथा प्रकरण पुनः जांच एंव सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी क्रमांक 334/2010-11 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 5-11-2012 से निगरानी अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि नायव तहसीलदार ने प्रकरण क्रमांक 16/2002-03 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2003 से बसीयत दिनांक 8-3-95 के अनुसार राकेश कुमार, वृजेश कुमार के नाम ग्राम फतहपुर स्थित खाता क्रमांक 390 रकबा 2.15 हैक्टर पर नामान्तरण के आदेश दिये हैं तथा इसी आदेश में खाता क्रमांक 93 रकबा 1.25 हैक्टर पर वारिसाना आधार पर **दीना**, रामलाल के नामांत्रण के आदेश दिये है। नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 8-3-1995 में यह स्पष्ट नहीं किया है कि उनके व्दारा बसीयत

दिनांक 8-3-95 को स्वीकार करने का आधार क्या रहा है और दूसरी बसीयत दिनांक 15-4-2002 को न मानने के आधार क्या रहे हैं, जबकि बसीयत दिनांक 15-4-2002 में अंकित है कि बसीयतकर्ता व्दारा पूर्व में की गई बसीयत निरस्त कर दी गई है। नायव तहसीलदार के प्रकरण के अवलोकन से यह भी पाया गया कि उन्होंने ग्राम पंचायत के माध्यम से अथवा पटवारी के माध्यम से मृतक सोहरू पुत्र भजना जाटव के और कौन कौन उत्तराधिकारी है उसके पुत्रियां हैं अथवा नहीं - जानकारी प्राप्त नहीं की है, जिसके कारण नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 8-3-95 को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी करैरा ने किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण कमांक 334/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-11-2012 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 22-6-11 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है। अनुविभागीय अधिकारी करैरा के आदेश दिनांक 22-6-11 से प्रकरण प्रत्यावर्तित होकर तहसील न्यायालय में वापिस पहुंचने पर दोनों बसीयतों की बैधता की जांच में उभय पक्ष को अपना अपना पक्ष रखने का अवसर प्राप्त होगा। अतः अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त व्दारा दिये गये आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रकट नहीं होती।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा प्रकरण कमांक 334/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 5-11-2012 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(डॉ0मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर